राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 56/2025

दायरा तिथि : 13/06/2025

निर्णय :- 30-4-26

नथुराम बनाम आसी देवी आदि

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति

1 नथुराम पुत्र मुकनाराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त,

– प्रार्थी

बनाम

1 आशी देवी पत्नी पुरखाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त
2 शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्राम बैंक शाखा लालगढ़
3 श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय बीदासर (चूरू)
4 श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय कातर छोटी तहसील बीदासर (चूरू)
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर (चूरू)

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. रघुवीर भामू, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते अप्रार्थी संख्या 01
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही
3. अप्रार्थी संख्या 03 व 05 स्वयं वास्ते पैरोकार राज.

दिनांक - 30-4-26

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण का निस्तारण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीनी संख्या 01 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1181/586 तादादी 10.1596 हेक्टेयर खेत खसरा संख्या 1182/586 तादादी 5.1850 हेक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1183/586 तादादी 0.2105 हेक्टेयर कुल तीन खसरान कुल तादादी 15.5551 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जो संयुक्त अविभाजित खेत है। जिनका विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। जब तक कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

का समान अधिकार होता है। वादगत खेत खसरान में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थीनी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीनी संख्या 01 के मध्य वादगत खेत खसरा भूमि का मौखिक रूप से विभाजन किया हुआ है लेकिन खेत खसरान का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी अपने हिस्सा कब्जा–काश्त उपयोग उपभोग के अनुसार वादगत खेत खसरान में अपने मौखिक हिस्सा के अनुसार उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, प्रार्थी अपनी भूमि का विभाजन करवाकर सीमा कायम करवाने व अलग लगान कायम करवाने व मालिकाना अधिकारों की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकार रखता है। प्रार्थी व अप्रार्थीनी संख्या 01 का खान–पान, लेन–देन, रहन–सहन सब अलग–अलग है, प्रार्थी अपने 1/2 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में अलग अंकित करवाकर लगान का विभाजन करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 01 को आपसी सहमति से विभाजन करवाने हेतु कहा गया लेकिन उसने पहले तो कहा कि हम मिलकर अपना आपसी सहमति से विभाजन तहसीलदार महोदय के समक्ष करवा लेंगे लेकिन अप्रार्थीनी संख्या 01 हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करती रही तथा दिनांक 10/06/2025 को आपसी सहमति से विभाजन करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा ऐलानियां धमकियां दी कि बिना विभाजन करवाये अवैध निर्माण, रहन, विक्रय आदि करने पर आमदा व उतारू है। अप्रार्थीनी संख्या 01 ने एलानियां धमकियां दी कि किसी अजनबी व्यक्तियों को प्रार्थी की हिस्सा–पांति, कब्जा–काश्त की भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण भू माफिया व्यक्तियों के साथ मिलकर करने पर उतारू हो रखी है व प्रार्थी को उसके हक हिस्सा की भूमि से वंचित करना चाहती है। यही वाद हैतुक है। प्रार्थी अपनी हिस्सा भूमि का बाई मिन्ट्स एण्ड बाउंड के आधार पर अलग सीमा कायम करवाना चाहता है तथा अपने हक हिस्सा पांति की खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अलग दर्ज कर अलग हिस्सा व अलग लगान कायम करवाना चाहता है, प्रार्थी को वादाधार वाद प्राप्त है। आदि–आदि प्रार्थना–पत्र पेश किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया लेकिन बावजूद विधिवत तामील अप्रार्थीनी संख्या 01 के उपस्थित नहीं आने और कोई जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नहीं करने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी वकील की बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार करना है जिनके सम्बन्ध में हमारा विनिश्चय निम्न प्रकार है –

1. प्रथम दृष्ट्या मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्तीय क्षति

1. प्रथम दृष्ट्या मामला –

प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला मुकदमा इस आशय का अनुतोष चाहा है कि वादगत खेत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

खसरा नम्बर 1181/586 तादादी 10.1596 हेक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1182/586 तादादी 5.1850 रोही ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर उक्त खसरान भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीनी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है प्रार्थी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में 1/2 हिस्सा का खातेदार है जो अविभाजित है, खातेदारों ने आपस में मौखिक विभाजन कर रखा है, लेकिन उक्त खेत खसरान भूमि का विधिवत रूप से विभाजन अभी तक नहीं हुआ है, जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है प्रार्थी का उक्त भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, जो अविभाजित हिस्सा है। प्रार्थी का अपने हिस्सा–पांति भूमि पर कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग निर्बाधरूप से चला आ रहा है, इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि का अलग से विभाजन कर सीमा कायम करवाने का कानूनी अधिकार रखता है। प्रार्थी व अप्रार्थीनी संख्या 01 का खान–पान, लेन–देन, रहन–सहन सब अलग–अलग है, खेत की खातेदारी संयुक्त होने से प्रार्थी को सरकारी लाभाश प्राप्त करने से भारी परेशानियां होती है। प्रार्थी ने अप्रार्थीनी को विभाजन हेतु कहा तो एक बार तो सहमत हो गई लेकिन वाद में अप्रार्थीनी ने सहमति से विभाजन करने से साफ इंकार कर दिया व धमकियां दी कि बिना विभाजन करवाये ही अवैध निर्माण, रहन, विक्रय आदि करने पर उतारू हो गई वा कहा कि अपने हिस्सा–पांति भूमि पर किसी अजनबी व्यक्ति को कब्जा करवा दूंगी वा किसी भू–माफिया व्यक्तियों से मिलकर उक्त भूमि विक्रय कर दूंगी, जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार होता है, प्रार्थी का अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग व अधिकार चला आ रहा है। अप्रार्थीनी संख्या 01 द्वारा एलानियां धमकियां देने की उन्होंने वादगत भूमि को विक्रय करने का सौदा तय कर लिया है, प्रार्थी को जबरन बलपूर्वक बेदखल कर देंगे वा सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर दूंगी, इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह प्रार्थीनी को जरिये चिर निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि जब तक वादगत भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक न्यायालय से अप्रार्थीनी संखय 01 को इस प्रकार पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीनी संख्या 01 विक्रय, बंधक, रहन, हस्तांतरण, गिरवी, निर्माण आदि नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को पाबंद फरमाया जावे कि वह उक्त वादगत खेतों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विक्रय–पत्र रहन गिरवी वसीयत आदि का पंजीयन नहीं करें व अप्रार्थी संख्या 05 को पाबंद फरमाया जावे कि वह राजस्व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, प्रार्थी के कब्जा–काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। चूंकि अप्रार्थीनी संख्या 01 ने बावजूद तामील कोई जवाब पेश नहीं किया इसलिए इस हद तक प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति –

सुविधा की दृष्टि से इन दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निस्तारित किया गया है। प्रार्थी का वादगत खेत की अपनी हिस्सा पांति भूमि पर कब्जा–काश्त उपयोग–उपभोग रहा है, जो आज तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है। यदि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अप्रार्थीनी संख्या 01 को वादगत भूमि में जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को भयंकर अपूरणीय क्षति हो सकती है। अतः दोनों बिन्दु भी तदनुसार प्रार्थी के पक्ष में तय किये जाते हैं।

उपरोक्त विवेचना अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वादगत खेत खसरा संख्या 1181/586 तादादी 10.1596 हेक्टेयर खेत खसरा संख्या 1182/586 तादादी 5.1850 हेक्टेयर, वाके रोही ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू को ताफैसला मूल वाद तक प्रार्थीनी संख्या 01 वादगत भूमि को विक्रय, बंधक, रहन, हस्तांतरण आदि नहीं करें, अप्रार्थी संख्या 3 व 4 उक्त वादगत खेतों का विक्रय, गिरवी आदि का पंजीयन नहीं करें, अप्रार्थीगण उक्त खेत भूमि का ताफैसला मूल वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते